

# राजस्थान सपके

Applied Filter:- निस्तारण कार्यवाही ( स्वयं के स्तर पर - सभी - सभी )

क्रम	दिनांक	परिवाद / माध्यम एवं स्रोत	विषय व विभाग	जिला	विवरण	परिवाद स्थिति	अधिकारी को अवंटीत	पूर्व कार्यवाही	समय सीमा
1	09-Jan-2023	012312814545395 अमित पारीक जी Mob No. 7691021419 181 Call Center	छात्रवृत्ति, काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, लेखाकार, व्यय, खरीद, लेखा परीक्षा, बयाना धन कॉलेज शिक्षा	चुरु	शिकायतकर्ता के अनुसार बताया गया है की CM हाइयर एजुकेशन सिक्ोलरशिप का फॉर्म भो भरा नहीं जा रहा हे IFC कोड अप्डेड हो गया है लेकिन CM हाइयर एजुकेशन स्कोलरशिप नॉट वेलिड दिखा है किस कारण दिखा रहा हे आधार नंबर 234932646002 अत : आप से निवेदन है की उक्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही की जाए	स्तर -1, लंबित	12 Days	09-Jan-2023 आवंटित परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अरोषित कर दी गयी है	10-Mar-2023 06:25 PM

गत वर्ष की scholarship disbursed दिखा रहा है ( नोटिस कॉलेज, चुरु से बात करने प बताया कि इस वर्ष का फॉर्म Approve कू दिना जाए )  
इस वर्ष के scholarship Application में आय उमान पत्र में Objection है जिसके बारे में सम्बन्धित विद्यार्थी से दूनिा कर दिना गमाई

20/11/2023

## RTI

### Statutory Declaration Under

### Right to Information (RTI) Act

S. B. D. Government College, Sardarshahar, Churu (Rajasthan) is a Higher Educational Institute governed by the State Government of Rajasthan. It runs as per the rules and regulations of Government of Rajasthan and is affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. The college offers UG and PG courses in faculties of Arts and Commerce and Sciences. Our website covers the statutory declaration under Section 4 (1) (b) of RTI Act 2005.

The college follows RSR (Rajasthan Service Rules), GF & AR, MoE and UGC rules for power and duties for officers and employees.

#### Public Information Officer (PIO):

**Dr. Vinod Kumar Swami**

Officiating Principal

S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu

Pin- 331403

Email- [sbdgcs@gmail.com](mailto:sbdgcs@gmail.com)

Contact- 9414327820

#### Assistant Public Information Officer (APIO): **Sh. Sohanlal**

Associate Professor

S. B. D. Government College Sardarshahar, Churu

Pin- 331403

Contact- 9413616373



लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य  
एस.बी.डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर ( चुरू )

# राजस्थान सपके

Applied Filter:- निस्तारण कार्यवाही ( स्वयं के स्तर पर - सभी - सभी



सिम्बोधन पत्र  
11/11/2022

क्रम	दिनांक	परिवाद / माध्यम एवं स्रोत	विषय व विभाग	जिला	विवरण	परिवाद स्थिति	अधिकारी को अवंटीत	पूर्व कार्यवाही	समय सीमा
1	22-Oct-2022	102208514007630 मुस्कान जी Mob No. 9351794290 181 Call Center	छात्रवृत्ति, काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, लेखाकार, व्यय, खरीद, लेखा परीक्षा, बयाना धन कॉलेज शिक्षा	चुरु	शिकायत कर्ता के द्वारा बताया गया है की इनके द्वारा सत्र - 2021/2022 में छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया गया है, लेकिन प्रार्थी को अभी तक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, प्रार्थी की एप्लिकेशन आईडी 3615680 है अतः श्रीमान जी से निवेदन है की जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दी जाए।	स्तर -1, लंबित	1 Days	11-Nov-2022 आवंटित परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अद्योषित कर दी गयी है	10-Jan-2023 10:20 AM

सुबोधन

दुरक्राफ नं. 9351794290 (मुस्कान सोनी) से आज दिनांक 11/11/2022 को 02-56 PM पर परिवारी से वार्ता हुई। सम्बन्धित छात्रा सुबोधन कॉलेज की छात्रा है।



कार्यालय: प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर

क्रमांक: बीडीसी / स्था / 2022 / 1429

दिनांक: 31.08.2022

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना क्रमांक 171 दिनांक 02.05.2016 (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 की अनुपालना में इस महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाता है। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी।

1. डॉ. कविता शर्मा, सह आचार्य (संयोजक एवं पीठासीन अधिकारी आई.सी.सी.) 9413148678
2. श्री सोहनलाल, सह आचार्य
3. डॉ. सुनिता मीणा, सहायक आचार्य
4. श्री राजेन्द्र चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी
5. सुश्री ममता रैगर, कनिष्ठ सहायक
6. शगुन पूनियां, (विद्यार्थी) बी.ए. प्रथम वर्ष
7. सोनिका पारीक, (विद्यार्थी) एम.ए. उत्तरार्द्ध हिन्दी
8. शर्मिला, शोध छात्रा (रसायनशास्त्र)

इस समिति की सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी। इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष परिवर्तित होते रहेंगे। समिति सदस्यों को आदेशित किया जाता है कि यूजीसी के उक्त विनियम का भलीभांति अध्ययन कर बैठक आयोजित करेंगे। समिति संयोजक प्रतिवर्ष समिति की बैठकों, शिकायत निवारण के बारे में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।



प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर









### प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के एम एससी प्रवेश के विद्यार्थियों द्वारा एम एससी फाइनल के विद्यार्थियों के लिए विदाई पार्टी को आयोजन किया गया जिस दौरान बॉटेनिकल सोसायटी के तत्वाधान में करवाएं गए सेमीनार से सम्बन्धित सर्टिफिकेट महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी द्वारा विद्यार्थियों को वितरित किए गए। विदाई समारोह में शामिल प्राचार्य डॉ वी के स्वामी ए प्रो. सोहन लाल ए डॉ योगेश चाहर ए श्री शेर सिंह ए वनस्पति शास्त्र प्रभारी श्री अमर चंद कुमावत ए श्री भवानी शंकर ए श्री अशोक मेघवाल आदि ने अपने विचार रखे तथा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम संचालन प्रिया पारीक तथा दीक्षा जेसनसरिया ने किया। राधिका और नेहा मीणा ने एम एससी फाइनल के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं करवाईं। जिसमें एम एससी फाइनल के विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया।



प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. www.sbdgc.ac.in

E-Mail = sbdgcs @gmail.com

दिनांक: 26.04.2022

### प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटेनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय परिसर में छोटे जीवों तथा पक्षियों की पानी की व्यवस्था के लिए प्राचार्य डॉ वी के स्वामी के निर्देशन में वनस्पति विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत अशोक मेघवाल ए एम एससी प्रवेश और फाइनल के विभिन्न विधार्थियों द्वारा परिंडे लगाए गए। इकोसिस्टम को सुचारु बनाएं रखने के लिए जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। जिस समय बाह्य वातावरण के हालात 48°C हो जाते हो तो उस समय बेजुबान जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाता है।



*Principle*  
प्राचार्य

बी.यु.ए. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, नूरु

प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर  
बी.यु.ए. स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, नूरु

कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-230027

Web. [www.sbdgc.ac.in](http://www.sbdgc.ac.in)

E-Mail - [sbdgc@sbgmail.com](mailto:sbdgc@sbgmail.com)

दिनांक: 24.04.2022

### प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ वी के स्वामी और विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार महाविद्यालय में लगे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर उनके वानस्पतिक नामए कुल तथा सामान्य नाम से सम्बन्धित नेम प्लेट सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के निर्देशन में एम एससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई। जिसकी सहायता से महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के साथ साथ अन्य संकाय के विधार्थियों को भी महाविद्यालय में लगे पेड़ पौधों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी हो सके। महाविद्यालय में लगे कइवे नीम, मीठी नीम, महानीम, सहजन, अनार, शीशम, अंजन, निर्गुंडी, टिकोमा, बोगेनविलिया, गिलोय, कनेर, आदि से सम्बन्धित नेम प्लेट लगाई गई।

Verifide 

प्राचार्य

नेरुडचन्कावेतर मध्यमिका

सरदारशहर, पुरु



प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

सरदारशहर

पुरु



कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph 01564-220027

Web: www.sbdgc.ac.in

E-Mail = sbdgc@gmail.com

दिनांक: 12.04.2022

### प्रेस नोट

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ वी के स्वामी और विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के सानिध्य में एम.एससी प्रवेश की छात्रा प्रेमलता पारीक ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की तथा इसके माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बी एससी तृतीय वर्ष के विकास जाट सुरेंद्र अनिल कविता रामदयाल केसरीनंदन आदि ने वास्पोत्सर्जन विटामिन आरएनए क्रोमेटोग्राफी प्रकाश सश्लेषण आदि से सम्बन्धित प्रकरणों पर प्रकाश डाला। जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया।

Versifide

प्राचार्य

सेबुदुसनातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय सरदारशहर  
सेबुदुसनातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु

के बारे में भी विस्तार से बताया। इस मौके पर मुख्या अधिकारी अनिल शर्मा, सुन्दरीप राजेंद्र, सुरेश सखी मंजु कवर के अलावा सुरेंद्र, बैक प्रबन्धक अवि उपस्थित थे।

सरदारशहर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ. वी. के. स्वामी और विभाग प्रभारी प्रो. अमरचंद कुमावत

के आदेशानुसार सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल की मौजूदगी में एमएससी प्रवेश की छात्रा प्रेमलता पारीक ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की तथा इसके माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बीएससी तृतीय वर्ष के विकास जाट, सुरेंद्र, अनिल, कविता, रामदयाल, केसरीनंदन आदि मौजूद रहे।



अनिल, कविता, रामदयाल, केसरीनंदन आदि मौजूद रहे।



### प्रेस नोट

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ वी के स्वामी और विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के सानिध्य में एम एससी प्रवेश की छात्रा वर्षा सैनी ने ओज़ोन से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की तथा साथ ही बी एससी तृतीय वर्ष के मुक्ता दर्जी ने डीएनए रचना सारण ने पादप हार्मोन कोमल सुधार ने पारिस्थितिकी तंत्र जितेश सैनी ने खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल कृष्णा पारीक ने आनुवंशिक कूट से सम्बन्धित प्रकरणों पर प्रकाश डालें। जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया।

*Veriside*  
— प्राचार्य  
से.दु.रा.स्नातकोत्तर महा विद्यालय  
सरदारशहर, नूरु

*[Signature]*  
प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर  
से.दु.रा.स्नातकोत्तर  
सरदारशहर, नूरु

## महाविद्यालय में सेमीनार का आयोजन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क  
patrika.com 12/04/2022

सरदारशहर, एसबीडी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग के बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में प्राचार्य डॉ. वी.के. स्वामी और विभाग प्रभारी प्रो. अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार सेमीनार का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल की मौजूदगी में एमएससी प्रवेश की छात्रा वर्षा सैनी ने ओज़ोन से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की तथा साथ ही बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा मुक्ता दर्जी ने डीएनए, रचना सारण ने पादप हार्मोन, कोमल सुधार



ने पारिस्थितिकी तंत्र जितेश सैनी ने खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, कृष्णा पारीक ने आनुवंशिक कूट से सम्बन्धित प्रकरणों पर प्रकाश डाला

R  
Shubh...

प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग के बोटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एम एससी प्रवेश बी एससी के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के नेतृत्व में सहजन के पौधे लगवाए गए तथा इसकी उपयोगिता बताई गई। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामीए डॉ सोहन लाल एविभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत तथा छात्र नेता संदीप कड़वासरा पवन रंगलाल विकास विनीता प्रिया प्रीति प्रियांसी मोहनलाल श्यामसुंदर सहित विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉ वी के स्वामी ने विद्यार्थियों को पेड़ पौधे लगाने तथा इन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया।

*Verigide*

  
प्राचार्य  
सेवुदुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, वृ.रु.

  
प्राचार्य  
राजकीय सेवुदुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, वृ.रु.

के वनस्पति शास्त्र विभाग के बोटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एम एससी प्रवेश बी एससी के विद्यार्थियों ने सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के नेतृत्व में सहजन के पौधे लगवाए। प्राचार्य डॉ वी के स्वामी ने कहा कि पेड़ लगाने का आधार है।

R

अशोक कुमार मेघवाल  
प्राचार्य  
सेवुदुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय







कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. [www.sbdug.ac.in](http://www.sbdug.ac.in)

E-Mail = [sbdugcs@gmail.com](mailto:sbdugcs@gmail.com)

दिनांक: 30.03.2022

### प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम एससी प्रवेश वनस्पति शास्त्र विभाग की छात्रा दीक्षा जेसनसरिया ने राजस्थान स्थापना दिवस पर बोटैनिकल सोसाइटी की सचिव होने के नाते सोसाइटी की तरह से पेंटिंग सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा के माध्यम से विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत और महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी को भेंट की।

Veridick

  
प्राचार्य

से. 30.03.2022  
सरदारशहर, बूँड़

  
प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
से. 30.03.2022  
सरदारशहर (राज.)

**प्रेस नोट**

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी के आदेशानुसार एम. एससी प्रवेश वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र केम चक्र तथा सी<sub>2</sub> चक्र से सम्बन्धित प्रॉजेक्ट सबमिट करवाएं गए।

*Verifiable*



प्राचार्य  
 से. डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चुरू



प्राचार्य  
 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 से. डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चुरू

छात्राओं ने किया प्रोजेक्ट सबमिट 2



सरदारशहर एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में एम. एससी प्रवेश वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा क्रेब्स चक्र केम चक्र तथा सी<sub>2</sub> चक्र से सम्बन्धित प्रोजेक्ट सबमिट करवाए गए। विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में प्रोजेक्ट सबमिट करवाए गए।

### प्रेस नोट

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में एम एससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें एम एससी प्रवेश के विद्यार्थियों ने सेमिनार दिया जिसमें एम एससी प्रवेश की छात्रा दीक्षा जयसंसरीया राधिका सोनी प्रियांसी शर्मा रितु रैगर ने नेशनल पार्क ए बायोडायवर्सिटी ए इकोसिस्टम की संरचना से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की। इस दौरान एम एससी प्रवेश तथा फाइनल के विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Veri fide



प्राचार्य

संयुक्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

संयुक्त

सरदारशहर

#### दी जानकारीयां 26/03/22

सरदारशहर एसबीडी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. वी. के. स्वामी व विभाग प्रभारी प्रो. अमरचंद्र कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में एमएससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों ने सेमिनार का आयोजन हुआ।

एमएससी प्रवेश की छात्रा दीक्षा जयसंसरीया, राधिका सोनी, प्रियांसी शर्मा, रितु रैगर ने नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम की संरचना से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की।



संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला।

प्रधानाचार्य प्राचार्य खान ने जल इस अवसर पर अध्यापक भाष्यन



**प्रेस नोट**

एस बी डी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार विश्व क्षय रोग दिवस पर सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें एम एससी प्रवेश की छात्रा प्रिया पारीक ने टीबी क्या है कैसे होती है इसके लक्षण आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल ने क्षय रोग से संबंधित विभिन्न जानकारीयां दी। इस दौरान विभाग सहायक आचार्य भानुप्रिया सूंडा तथा एम एससी प्रवेश और फाइनल तथा बी एससी प्रथम वर्ष के विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे। पिछे पांच दिन से एम एससी के चल रहे सेमीनार की कड़ी में आज एम एससी प्रवेश की छात्रा अंबिका पारीक व पूजा तिवारी ने ग्रीन हाउस प्रभाव और संकट शस्त पादपों से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की।

*Handwritten signature*  
 प्राचार्य  
 से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चूरु

सरदारशहर एसबीडी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार विश्व क्षय रोग दिवस पर सेमीनार का आयोजन किया गया।

जिसमें एमएससी प्रवेश की छात्रा प्रिया पारीक ने टीबी क्या है, कैसे होती है इसके लक्षण आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल ने क्षय रोग से संबंधित विभिन्न जानकारीयां दी। इस अवसर पर सहायक आचार्य भानुप्रिया सूंडा तथा एमएससी प्रवेश और फाइनल तथा बीएससी प्रथम वर्ष के विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस मौके पर एमएससी प्रवेश की छात्रा अंबिका पारीक व पूजा तिवारी ने ग्रीन हाउस प्रभाव और संकट शस्त पादपों से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की।

25/03/2022


*Handwritten signature*  
 प्राचार्य  
 राजकीय महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चूरु



*Handwritten notes and scribbles at the bottom left corner.*

**प्रेस नोट**

एराबीडी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक प्राचार्य अशोक कुमार गेघवाल व भानुप्रिया सूडा की उपस्थिति में विश्व जल दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता रखी गयी जिसमें एमएससी फाइनल की छात्रा अदिति मिश्रा एकोमल कंवरप और ज्योति जांजिड़ और छात्र विक्रम पारीक ने पोस्टर बनाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पिछे चार दिनों से चल रहे सेमिनार में एमएससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों ने सेमिनार दिया जिसमें एमएससी प्रवेश की छात्रा प्रिया पारीक ने हैबिटाट और एकोलोजिकल निचे पर ए भारती भोजक ने फूड चैन और फुड बैंक पर ए प्रीति शर्मा ने कोन्सीप्ट ऑफ यु एन ई पी पर ए और नेहा मीणा ने वाटर पॉल्यूशन पर और एम एस सी फाइनल की छात्रा मुस्कान सोनी ने फूड चैन और फुड बैंक पर ए ज्योती बुखवाल और छात्र भागिरथ तिवारी ने वाटर पॉल्यूशन पर पीपीटी प्रस्तुत की। इस दौरान सहायक प्राचार्य अशोक कुमार गेघवाल व भानुप्रिया सूडा और एम एस सी प्रवेश तथा फाइनल के विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे।



**वी जानकारीयां 24/03/22**  
 सरदारशहर, एराबीडी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक प्राचार्य अशोक कुमार गेघवाल व भानुप्रिया सूडा की उपस्थिति में विश्व जल दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई।

*Veri fiale*  
 प्राचार्य  
 प्राचार्य  
 एराबीडी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चूरु

र



## प्रेस नोट

एस बी डी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में विश्व जल दिवस पर एम एससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें एम एससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों ने सेमिनार दिया जिसमें एम एससी प्रवेश की छात्रा ग्रेसी सिंह राजवी ने इकोलॉजिकल सक्सेशन पर विनिता सोनी ने आई यू सी एन पर ए जसप्रीत कौर ने ग्लोबल वार्मिंग पर और छात्र पवन कुमार ने बायोस्फेयर रीजन पर और एम एससी फाइनल की छात्रा कौशल्या शर्मा ने उत्पादकता पर और कविता पारीक ने मृदा प्रदूषण पर ज्योति जांगीर ने पॉपुलेशन इंटरएक्शन पर और कोमल कंवर ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पर पीपीटी प्रस्तुत की। इस दौरान एम एससी प्रवेश तथा फाइनल के विभिन्न विद्यार्थी उपस्थित रहे।

*Veri/ide*

प्राचार्य

सेवु दुस एकाकेतर महाविद्यालय  
सरदारशहर, गुज

प्राचार्य/प्रभारी

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर (राज.)

सेमिनार का आयोजन 29/03/2022

सरदारशहर परबीडी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. वी. के. स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा की उपस्थिति में विश्व जल दिवस पर एमएससी प्रवेश और फाइनल के विद्यार्थियों की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया।



कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. www.sbdgc.ac.in

E-Mail = sbdgc@gmail.com

दिनांक: 16.03.2022

## प्रेस नोट

एस बी डी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद्र कुमावत के आदेशानुसार विभाग के सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंझ की उपस्थिति में एम एससी फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा सेमीनार का आयोजन किया गया पीपीटी के माध्यम से खुशबू बानो ने एयर पॉल्यूशन ए पूनम जांगीड ने प्राकृतिक संसाधन एमोनिका खेरीवाल ने इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ए ललिता सारण ने वाटर पॉल्यूशन तथा विक्रम पारीक ने अनुक्रमण पर प्रकाश डाला। जिसमें एम एससी के आलिया प्रमिला कोमल कविता अदिति आदि विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Veri fied

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

संबुदुरास  
सरदारशहर

### प्रेस नोट

एस बी डी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटेनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार एम एससी फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत व प्राचार्य डॉ वी के स्वामी ने विद्यार्थियों को सेमीनार प्रस्तुत करने से पहले शुभकामनाएं दी तथा उन्हें सेमीनार बिना झिझक के देने के लिए प्रेरित किया उसके बाद एम एससी फाइनल की छात्रा प्रिया पारीक ने इकोलॉजिकल पिरेमिड, अक्षय कुमार ने प्रदूषण, अदिति मिश्रा ने पॉपुलेशन इकोलॉजी तथा आलिया सैयद ने इकोसिस्टम के प्रकार से सम्बन्धित पीपीटी प्रस्तुत की इस दौरान एम एससी प्रवेश तथा फाइनल के विद्यार्थियों सहित सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा आदि उपस्थित रहे। तथा अंत में पहले से चल रही बॉटेनिकल सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया जिसमें एम एससी फाइनल की छात्रा अदिति मिश्रा को अध्यक्ष छात्र विक्रम कुमार को कोषाध्यक्ष तथा एम एससी प्रवेश की छात्रा दीक्षा को सचिव व छात्र पवन कुमार को पीआरओ चुना गया। इस मौके पर वनस्पति विभाग सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल और भानुप्रिया सूंडा ने आगे की कार्य योजना के बारे में बताया।

*Veri dike*



प्राचार्य

सेबुदुरा स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सेबुदुरा सरदारशहर,  
सरदारशहर, चूरु

कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web www.sbdgc.ac.in

E-Mail = sbdgcs@gmail.com

दिनांक: 07.03.2022

## प्रेस नोट

एस बी डी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग में बॉटेनिकल सोसायटी के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी व विभाग प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार बी एससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने इकोलॉजी पादप हार्मोन जैव विविधता के संकट आदि प्रकरणों पर प्रकाश डाला तथा इसी कड़ी में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल व भानुप्रिया सुंडा के निर्देशन में बनाए गए प्रोजैक्ट को द्वितीय वर्ष के विभिन्न विद्यार्थियों ने सहायक आचार्य अशोक मेघवाल को सबमिट कराए।

Verifiable

प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महा विद्यालय  
सरदारशहर, चूरु

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

वे.व. सरदारशहर, चूरु  
सरदारशहर (चूरु)



कार्यालय: प्राचार्य एस.बी.डी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. www.sbdgc.ac.in

E-Mail - sbdgcs@gmail.com

दिनांक: 03.03.2022

## प्रेस नोट

SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी और वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रभारी अमरचंद कुमावत के आदेशानुसार बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में बी.एससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित सेमिनार की कड़ी में दूसरे दिन भी सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवालर भानुप्रिया सुंडा के निर्देशन में रिया शर्मा दिनेश सिद्ध विकास प्रियंका आरती सीता विमला अशोक आदि विद्यार्थियों ने परासरण, एंजाइम, पीसीआर, एचजीपी, जल प्रदूषण, हार्मोन आदि प्रकरणों पर प्रकाश डाला।

Verifide





प्राचार्य

सेतुदुर्गास्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, गुजरात

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

**कार्यालय: प्राचार्य एस.बी.डी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर**

Ph. 01564-220027

Web. [www.sbdgc.ac.in](http://www.sbdgc.ac.in)

E-Mail = [sbdgcs@gmail.com](mailto:sbdgcs@gmail.com)

दिनांक: 02.03.2022

## प्रेस नोट

SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी के आदेशानुसार बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में बी.एससी. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सेमिनार का आयोजन रखा गया। जिसमें सहायक आचार्य भानुप्रिया SUNDA अशोक कुमार मेघवाल के निर्देशन में ममता शर्मा अरुण जांगिड़ देवाराम विनोद कुमार जयेश गोपीचंद विकास नितिन मदन आदि विद्यार्थियों ने पादप अनुक्रमण प्रकाश सश्लेषण वायु प्रदूषण आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रभारी अमरचंद कुमावत ने विद्यार्थियों को सेमिनार के महत्व को बताया तथा महाविद्यालय प्राचार्य डॉ वी के स्वामी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

Vani kide

प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूड़



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूड़

कार्यालय: प्राचार्य एस.बी.डी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर  
Ph. 01564-220027 Web. www.sbdgc.ac.in E-Mail = sbdgcs@gmail.com  
दिनांक: 25.02.2022

## प्रेस नोट

आज दिनांक 25/02/2022 को SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR के M.Sc previous or फाइनल के विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य वी के स्वामी और वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रभारी अमरचंद कुमावत की सहमती से बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करवाया गया। जिसमें KVK के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे एजोला संवर्धन वर्मी कंपोस्ट मिट्टी तथा जल की गुणवत्ता नेपियर घास आदि से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां दी गईं। भ्रमण दल सहायक आचार्य भानुप्रिया सुंडा अशोक कुमार मेघवाल के नेतृत्व में प्राणी शास्त्र विभागाध्यक्ष भवानी शंकर पारीक के सानिध्य में कार्य किया।

*Verifiable*



प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

25/02/2022



## प्रेस नोट


आज दिनांक 24/02/2022 को SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR के B Sc द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केन्द्र, सरदारशर का शैक्षिक भ्रमण करवाया गया जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया। भ्रमण दल को वनस्पति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष अमरचंद्र कुमावत सहायक आचार्य भानु प्रिया सुन्डा ने सहायक आचार्य अशोक कुमार मेघवाल के नेतृत्व में रवाना किया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक कानाराम चौधरी ने नेपियर घासए बूंद बूंद सिंचाई, विभिन्न फसलों की अलग अलग वैरायटी, एजोला, वर्मी कम्पोस्ट, नर्सरी आदि से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला।

*Veri Jide*



प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर

## प्रेस नोट

आज दिनांक 23/02/2022 को SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR के बॉटेनिकल सोसायटी के तत्वाधान में M Sc pre or final के वनस्पति शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों को KKC PG COLLEGE SARDARSHAHAR के लाइफ साइंस प्राणी शास्त्र विभाग का शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। जिसको महाविद्यालय के प्राचार्य V K स्वामी तथा विभागाध्यक्ष अमरचंद कुमावत ने महाविद्यालय के भ्रमण दल को भानुप्रिया सुंडा अशोक कुमार मेघवाल (सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र) विद्याधर के नेतृत्व में रवाना किया जिसमें M Sc pre or final के विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया। KKC PG COLLEGE SARDARSHAHAR के प्राणी शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौहान और सहायक आचार्य प्रीति तुनवाल ने जैवरसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां दी।

*Veri fide*



प्राचार्य

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु



प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

सरदारशहर

से.बु.दु.रा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
सरदारशहर, चूरु

कार्यालय: प्राचार्य एस.बी.डी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. www.sbdac.ac.in

E-Mail = sbdacs@gmail.com

दिनांक: 21.02.2022

## प्रेस नोट

दिनांक 21/02/2022 को SBD GOVT PG COLLEGE SARDARSHAHAR में बॉटैनिकल सोसायटी के तत्वाधान में B Sc प्रथम वर्ष जीवविज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया। जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य V K स्वामी वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष अमरचंद कुमावत सहायक आचार्य भानुप्रिया सुन्डा अशोक कुमार मेघवाल आदि उपस्थित रहे।

Veri hide




प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर, वृह



प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर





Veri fide

*(Signature)*  
 प्राचार्य

सेतुदुसरास्नातकोत्तर महाविद्यालय  
 सरदारशहर, चूल





Veri fide

प्राचार्य

सरदारशहर, गुज

कार्यालय : प्राचार्य, S.B.D. राजकीय महाविद्यालय, सरदारशहर

Ph. 01564-220027

Web. www.sbdgc.ac.in

E-Mail = sbdgc@gmail.com

क्रमांक : बीडीसी / स्था / 2019 / 944

दिनांक: 19.08.2019


छात्रसंघ चुनाव (सत्र 2019-20)  
आदेश

छात्र संघ चुनावों के संबंध में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प. 3 (54) शिक्षा-04/2002 पार्ट दिनांक 25.06.2010 द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में महाविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है। दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर यह प्रकोष्ठ छात्रसंघ चुनाव से संबंधित प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर उनके निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही करेगा।

1. श्री सोहनलाल - संयोजक
2. डॉ. प्रभाकर दीक्षित - सदस्य

छात्र प्रतिनिधि:-

1. बबीता स्वामी (एम.एस.सी. फाईनल रसायनशास्त्र)
2. रणजीत सिंह (बी.ए. तृतीय मो. 6350526245)



मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
छात्रसंघ चुनाव 2019-20  
राजकीय महाविद्यालय  
सरदारशहर



राजकीय महाविद्यालय,  
सरदारशहर



राजस्थान सरकार  
शिक्षा (गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 3(54) शिक्षा-4/2002 पार्स

जयपुर, दिनांक: 25.06.2010

1. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
4. कुलसचिव, मोहन लाल सुख्खाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
5. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
6. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
7. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
8. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

विषय:- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों के संबंध में ।

संदर्भ:- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 एवं लिंगदोह समिति सिफारिशों जिन्हें मा10 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.1.2010 द्वारा यह सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक पत्र 2010-11 से कराये जायेंगे एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे । इस पत्र के क्रम में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अंग्रेजी एवं हिन्दी रूपान्तरण संलग्न प्रेषित किया जा रहा है । साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुकूल ही छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हैं । इसके विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. छात्रसंघ चुनाव शैक्षणिक सत्र 2010-11 से प्रत्यक्ष अध्यक्षतात्मक सीधे चुनाव के आधार पर कराये जायेंगे ।
2. सभी संस्थारें, परिसर में अनुशासन जैसे प्रासंगिक गुरों को अभीन रहते हुए चुनावों की एक रचनात्मक व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न करेंगी ।
3. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा एक शीर्ष छात्र प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी संघटक महाविद्यालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करती होगी । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे । साथ ही ऐसे विश्वविद्यालय जिनके संघटक महाविद्यालय/शैक्षणिक विभाग हैं, उन द्वारा अपने-अपने महाविद्यालयों/शैक्षणिक विभागों से विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु प्रतिनिधियों का चुनाव विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु करेंगे ये प्रतिनिधि प्रत्येक संघटक महाविद्यालयों से न्यूनतम 200 विद्यार्थियों पर 01 हो सकता है । लेकिन 4 प्रतिनिधि से अधिक नहीं होंगे एवं प्रत्येक शैक्षणिक अनुभाग से न्यूनतम एक प्रतिनिधि निर्वाचित होगा । इन प्रतिनिधियों में से विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी ।



संघटक/संबंध महाविद्यालयों/शैक्षणिक अनुभागों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी छात्रसंघ का गठन किया जा सकेगा। इस छात्रसंघ के पदाधिकारियों का विश्वविद्यालय छात्रसंघ के समान संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जा सकेगा। साथ ही प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 विद्यार्थी के आधार पर कक्षा प्रतिनिधियों का उस कक्षा के विद्यार्थी द्वारा निर्वाचन हो सकेगा। ये निर्वाचित कक्षा प्रतिनिधि संबंधित छात्रसंघ के सदस्य होंगे, इनमें से छात्रसंघ अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यकारिणी बनाई जा सकेगी।

- 4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्वाचित छात्रसंघ या प्रतिनिधियात्मक निकाय केवल उस संस्थान में पढ़ रहे नियमित विद्यार्थियों से ही सृजित होगी। किसी भी संकाय सदस्य या प्रशासन के सदस्य को किसी प्रतिनिधियात्मक निकाय या संस्था का वह सदस्य होने एवं कार्यकारिणी के पद पर रहने की अनुमति नहीं है।

5. चुनाव की प्रक्रिया:-

चुनाव की एक ऐसी प्रणाली जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कक्षा-प्रतिनिधि सीधे तौर पर चुने जायेंगे और ये कक्षा प्रतिनिधि फिर महाविद्यालय संघों विश्वविद्यालय परिसर संघ के पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। वे विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु भी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों परिसर से चुने गये ये प्रतिनिधि एक electoral college का निर्माण करेंगे जो विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारियों का चुनाव करेगा।

6. छात्र चुनावों एवं छात्र प्रतिनिधित्व का राजनीतिक दलों से विलगाव:

चुनाव के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नहीं है चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार या छात्रसंघ का सदस्य जो इस नियम का उल्लंघन करेगा वह अनुरोधनात्मक कार्यवाहियों का भागी होगा। इसके साथ ही उसकी उम्मीद गरी जैसा भी प्रकरण हो, रद्द की जायेगी।

7. चुनाव प्रक्रिया की आकृति एवं अवधि:

- (i) चुनाव की पूरी प्रक्रिया की अवधि जो कि नामांकन पत्र भरने की तिथि से शुरू होकर परिणामों के घोषित होने की तिथि तक होगी और जिसमें प्रचार अभियान समयावधि समायोजित होगी, 10 दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुभागों में छात्रसंघ चुनाव की प्रक्रिया इस वर्ष 18 अगस्त, 2010 से प्रारम्भ होगी तथा निर्वाचन 25 अगस्त, 2010 को एक ही दिवस में सम्पन्न कराई जावे।

8. उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड:

- (i) स्नातक कर रहे 17 से 22 वर्ष के मध्य की आयु के छात्र चुनाव लड़ सकते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 17-23 वर्ष एवं पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में 17-24 वर्ष तक विद्यार्थी चुनाव में भाग ले सकते हैं।
- (ii) स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वैध तरीके से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
- (iii) शोधार्थियों के लिए वैध रूप से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।



- (iv) छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academic arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए ।
- (v) उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 76 प्रतिशत उपस्थिति इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, हासिल किया जाना आवश्यक है ।
- (vi) उम्मीदवार के गणतन्त्र पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लड़ने का अवसर एक होगा और कार्यकारी सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने हेतु दो अवसर होंगे ।
- (vii) उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो । यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो ।
- (viii) उम्मीदवार अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और एक दूरस्थ/आसन्न शिक्षा का छात्र नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि सभी पात्र उम्मीदवार एक पूर्णकालिक कोर्स में नामांकित हो जिसकी कि समयावधि न्यूनतम एक साल हो ।

9. चुनाव संबंधी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही:-

- (i) प्रति उम्मीदवार अधिकतम 5000 रु के व्यय की अनुमति है ।
- (ii) चुनाव परिणाम के घोषित होने के 2 सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण एवं अंकित लेखे सुपुर्द करेगा । महाविद्यालय / विश्वविद्यालय ऐसे अंकित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर प्रकाशित करेगा जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतंत्र परीक्षण कर सके ।
- (iii) किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा ।
- (iv) छात्र चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से रुपयों की आवश्यक को राकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई धनराशि लेना विशेष रूप से प्रतिबंधित है ।

10. उम्मीदवारों व चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता:-

- (i) कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा देवे या आपसी वैमन्य या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे ।
- (ii) दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब यह उनकी नीतियों, कार्यकों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी । उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से संबंधित नहीं हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा ।



- (iii) मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे।
- (iv) सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda, चुनाव के आखरी घंटे से 24 घंटों पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना।
- (v) किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग कर सकेंगे तबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपरोक्त लिखित व्यय सीमा के अन्तर्गत बनाये गये हों।
- (vi) उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर सकेंगे जो कि पूर्व में ही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।
- (vii) किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (viii) कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पत्ति को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की लिखित पूर्वानुमति के अभाव में खण्डित अथवा नष्ट नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पत्ति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं बारंबार ऐसा विध्यांस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।
- (ix) चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं, और जनसभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा का बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
- (x) प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।
- (xi) मतदान के दिन मात्र रांगठन एवं उम्मीदवार :-  
 (अ) उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेंगे। इस वास्ते कि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना मतदाधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना किसी नाशजगी या व्यवधान के ;  
 (ब) मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे, पानी को छोड़कर ;  
 (स) मतदान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नहीं बांटेंगे।
- (xii) मतदाताओं को अनावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास या चुनाव आयोग के अधिकार पत्र या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अधिकार पत्र मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।



(xiii) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निष्काश पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायेंगे। डीम्ड विश्वविद्यालय व स्ववित्तापोषित संस्थाओं के प्रासंग में सारकारी कर्मचारी भी पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।

यदि उम्मीदवारों को चुनावों के संचालन से संबंधित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेंगे।

(xiv) मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

(xv) उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार उसकी उम्मीदवारीता खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा। जैसा कि प्रासंग्य हो। ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा भी की जा सकेगी।

(xvi) उपरोक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (sec 153 A and chapter IX A- चुनावों से संबंधित अपराध) भी छात्र संघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

## (12) शिकायत निवारण तन्त्र :

(i) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा जिसका चैयरमैन डीन छात्र कल्याण/छात्र कार्यकलापों का इनचार्ज अध्यापक होगा, इसके साथ ही एक वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व दो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी-एक लड़का एवं एक लड़की योग्यता या सह शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर चैयरमैन द्वारा नामित किये जा सकेंगे (जब तक चुनाव परिणाम घोषित किये जाते हैं)।

उक्त शिकायत प्रकोष्ठ को चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा जो कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्च संबंधी शिकायतों को समाहित करेगा पर जन तक सीमित नहीं होगा। यह प्रकोष्ठ संस्था की नियमित इकाई होगा।

(ii) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में यह शिकायत प्रकोष्ठ आचार संहिता के किसी पक्ष के उल्लंघनकर्ताओं या शिकायत प्रकोष्ठ के आदेशों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सकेगा। यह शिकायत प्रकोष्ठ एक मौलिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा।

संसदीय अध्यापक (राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रकरण में कुलपति/निजी विश्वविद्यालयों के प्रकरण में प्रेसिडेंट व महाविद्यालयों के प्रकरण में प्राचार्य तथा शैक्षणिक अनुभागों के प्रकरण में संबंधित अनुभाग का विभागाध्यक्ष) को चुनावों के संचालन से संबंधित सभी केसों या विवादों और कानून एवं तथ्य संबंधित सभी मुद्दों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा जिन्हें उक्त प्रकोष्ठ ने अपना फैसला सुनाया हो।

पुनर्समीक्षा पर संस्था अध्यापक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों को रद्द अथवा परिवर्तित कर सकता है।

(iii) इस कार्यालय के कर्तव्यों का निष्पादन करते समय शिकायत प्रकोष्ठ ऐसी प्रक्रियाओं और सुनवाईयों का संचालन करेगा जो इन कर्तव्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक होगी। इन कर्तव्यों को पूरा करते समय उसे अधिकार होगा कि -

(अ) आज्ञा जारी कर सम्मन से उम्मीदवारों, एजेंटों, कार्यकर्ताओं को और छात्रों को बाध्य रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने और आवश्यक रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।



26

(ब) किसी उम्मीदवार की वित्तीय रिपोर्टों का निरीक्षण करना और प्रार्थना पर ऐसे दस्तावेज को जन-विवेचना हेतु सफल बनाना ।

(iv) शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दर्ज कराने से प्रतिबंधित किये गये हैं । कोई भी अन्य विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ के सम्मुख शिकायत दर्ज कर सकता है । ऐसी सारी शिकायतें शिकायत कर्ता विद्यार्थी के नाम से ही दर्ज की जायेगी ।

शिकायत प्रकोष्ठ ऐसी सभी शिकायतों के प्राप्त होने के 24 घंटे में कार्यवाही करेगा । या तो उन्हें रद्द करेगा या सुनवाई करेगा ।

(v) शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को रद्द कर सकता है यदि :

(अ) ऐसी शिकायत उपरोक्त सिफारिश में प्रस्तावित समय सीमा के अन्दर दल नहीं की गई हो ।

(ब) यदि शिकायत ऐसा कोई कारण नहीं बता पाती जिसके लिए राहत दी जा सके ।

(स) शिकायतकर्ता का स्वयं कोई क्षति नहीं हुई है या क्षति होने की सम्भावना नहीं है ।

(vi) यदि कोई शिकायत रद्द नहीं हुई है तो सुनवाई अवश्य होनी चाहिए ।

शिकायत प्रकोष्ठ या तो लिखित में या ई-मेल से शिकायतकर्ता पक्ष एवं सभी व्यक्तियों या समूहों जिनका नाम शिकायत में लिया गया है सुनवाई के समय और स्थान के बारे में सूचित करेगा । संबंधित पक्ष तब तक अभिसूचित नहीं मने जायेंगे जब तक उन्होंने शिकायत की एक प्रति प्राप्त नहीं कर ली ।

(vii) सुनवाई शीघ्रतः शीघ्र की जायेगी पर यह उपरोक्त नोटिस के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर नहीं होगी जब तक सभी पक्ष 24 घंटे की समय सीमा को शिथिल करने हेतु सहमत ना हो ।

(viii) जब सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाता है तब शिकायत प्रकोष्ठ बहुमत द्वारा एक आदेश नियंत्रण आदेश जारी कर सकता है यदि उसे लगता है कि ऐसा करना किसी व्यक्ति या इकाई पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने हेतु आवश्यक है । कोई भी ऐसा नियंत्रण आदेश एक बार जारी किये के बाद तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक या तो शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय नहीं सुनाया जाता या परिवेदना प्रकोष्ठ द्वारा रोकना न गया हो ।

(ix) शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाईयां, कार्यवाहियां और बैठकें जन सामान्य हेतु खुली होनी चाहिए ।

(x) सुनवाई के दौरान सभी पार्टीज उपस्थित होगी और वे अपने साथ कोई अन्य विद्यार्थी रख सकती है, जिसे कि वे पत्र ले सकें या जो वकील के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर सके ।

(xi) किसी भी सुनवाई हेतु शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्यों का बहुमत उपस्थित होना चाहिए और साथ ही यह आवश्यक है कि शिकायत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहा हो ।

(xii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता की जिम्मेदारी ऐसे सदस्य की होगी जो कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो ।

सुनवाई का प्रारूप शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित किया जायेगा पर यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी दोनों ही पक्ष शारीरिक रूप से बोर्ड के सम्मुख उपस्थित हों जिससे मुद्दों पर भर्षा एवं परिवाद, जवाब, खण्डन एवं प्रत्युत्तर, प्रारूप सुनवाई का उद्देश्य चुनावी डागडों को सुलझाने में लिये जाने वाले निर्णय या आदेश या नियम को लेने



हेतु आनुरयक सुनना एकात्रित करगा है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सुनवाईयों पर निम्न नियम की पालना होनी चाहिए :-

- (क) शिकायतकर्ता पक्ष को दो से अधिक साक्षियों को रखने की अनुमति नहीं होगी तथापि शिकायत प्रकोष्ठ आवश्यकतानुसार साक्षियों को बुला सकेगा ।  
यदि उपरोक्त साक्षी सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ हों तो शिकायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष को हस्ताक्षरित शपथ प्रोक्सी साक्षियों हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।
- (ख) विवादग्रस्त पक्षों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न और चर्चाओं को शिकायत प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाएगा ।
- (ग) सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष या गवाह का प्रत्यक्ष या प्रति परीक्षा शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी पार्टियों द्वारा नहीं की जायेगी ।
- (घ) शिकायतकर्ता द्वारा वाजिब समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी बशर्तें वे दोनों से निष्पक्ष और समान व्यवहार करते हों ।
- (ङ) दोष सिद्ध का उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता पक्ष का होगा ।
- (च) शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ के निर्णय, आदेश और नियम उपस्थित शिकायत प्रकोष्ठ के बहुमत से पारित हो और सुनवाई के बाद जितना शीघ्र हो सके घोषित किये जाये । शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा नियम के बारे में लिखित राय निर्णय सुनाये जाने के 12 घंटे के अन्दर जारी की जानी होगी । इस लिखित राय में शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सध्यपरक निष्कर्ष और विधिसम्मत निर्णय जो ऐसी findings का समर्थन करते हों, का उल्लेख होना चाहिए ।

ऐसी लिखित राय तीन चुनाव प्रक्रिया की अवधि तक शिकायत प्रकोष्ठ को उसके कार्यकलापों में सहयोग करेगी । पूर्व लिखित ऐसी रायों को देखने के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ निर्णय पलट सकता है पर उसे ऐसा करने के कारणों को लेखमद्ध कर उपलब्ध कराना होगा ।

- (थ) यदि शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय के विरुद्ध संस्था अध्यक्ष को अपील की जाती है तो शिकायत प्रकोष्ठ तुरन्त ही अपना निर्णय संस्था अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा ।
- (द) शिकायत प्रकोष्ठ ऐसे समाधान या प्रतिबन्ध को चुनेगा जो कि उल्लंघन के प्रकार और गम्भीरता के सबसे अधिक अनुरूप हो और उल्लंघनकर्ता के आशय या मानसिक अवस्था को दर्शाता हो । संभावित समाधान या प्रतिबन्ध समाहित करते हैं, जुर्मानों, प्रचार अभियान के विशेषाधिकार के निलम्बन और चुनाव से अयोग्य करने पर केवल इन तक ही सीमित नहीं है ।
- (घ) कोई भी जुर्माना या जुर्माने की कुल राशि जो कि एक उम्मीदवार के विरुद्ध विना गया हो निर्धारित खर्च की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (न) यदि किसी सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता द्वारा किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ ऐसे उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं को कुछ या शेष प्रचार समय में भाग लेने से प्रतिबन्धित कर सकता है ।

यदि ऐसा आदेश बचे हुए समय के कुछ हिस्से के लिए है तो यह तुरन्त प्रभावी हो जाएगा जिससे कि उम्मीदवार के पास चुनाव के दिनों से एकदम पहले व साथ-साथ में चुनाव प्रचार वापिस शुरू करने का अवसर मिल सके ।

- (य) यदि सुनवाई के पश्चात् प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान या उसके निर्णय, रायों, आदेशों अथवा नियमों का किसी उम्मीदवार या उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर और खुला उल्लंघन किया गया तो शिकायत प्रकोष्ठ उसको अयोग्य कर सकता है ।



(र) यदि कोई छात्र शिकायत प्रकोष्ठ के किसी फैसले से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तो वह संस्था अध्यक्ष के समक्ष प्रतिकूल निर्णय सुनाये जाने के 24 घंटे के अन्दर एक अपील दायर कर सकता है। संस्थागत अध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ठ के उपर उन सभी प्रकरणों में विवेकाधिकार पूर्ण अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा जिनमें शिकायतकर्ता प्रकोष्ठ पर गलती आरोपित की गई है।

(ल) जब तक संस्था अध्यक्ष द्वारा अपील सुनी जाकर निर्णय सुनाया जाता है तब तक शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय वैध एवं पूर्ण प्रभावी होगा।

(व) संस्था अध्यक्ष द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ नियमों से संबंधित अपील शीघ्रातिशीघ्र सुनी जायेगी पर यह शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा अपीलार्थी और संस्था अध्यक्ष को अपनी लिखित राय की प्रति दिये जाने के बाद के 24 घंटों के अन्दर नहीं होगा। अपील द्रुत समय से पहले सुनी जा सकेगी पर केवला तब जब अपीलार्थी लिखित राय के अधिकार में शिथिलीकरण चाहे और संस्था अध्यक्ष ऐसे शिथिलीकरण को सहमति प्रदान करें।

संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जारी नियम का कियान्वयन रोकने या लंबित करने हेतु समुचित आदेश निकाल सकता है। जब तक कि अपीलों का निर्णय नहीं हो जाए।

(स) संस्था अध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निष्कर्ष की समीक्षा अपील होने पर करेगा और यह शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय को सहमति या उलट सकता है या प्रतिगन्धों में तंत्रांशक कर सकता है।

(13) चुनाव प्रक्रिया के दौरान परिसर में कानून-व्यवस्था बनाये रखना।

कानून की धोर अवहेलना की कोई घटना या कोई आपराधिक कृत्य घटित होने पर उसकी सूचना महाविद्यालय / विश्वविद्यालय प्रशासन / संबंधित शैक्षणिक अनुभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस को यथार्थीघ्र दी जाएगी जो अपराध घटने के 12 घंटे के अन्दर होनी अनिवार्य है।

(14) विविध सिफारिशें -

(i) छात्र प्रतिनिधित्व हेतु विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों के संगठक अनुभागों के नियमों में छात्र प्रतिनिधित्व हेतु स्पष्ट प्रावधान करें।

(ii) छात्र प्रतिनिधित्व का एक नियम / कानून द्वारा नियमन होगा जिसमें इन सिफारिशों को समाहित किया जावे।


(iii) संस्था द्वारा नेतृत्व क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक संगठनों की मदद लेकर चलाए जावें जिससे कि छात्रों का विकास हो और उनमें नेतृत्व गुणों को पल्लवित / रोपित किया जा सके।

(iv) यदि चुनाव सम्पन्न होने के दो महीने के अन्दर किसी बड़े पदाधिकारी का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव कराये जाने चाहिए या उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया जाकर इसी प्रकार संयुक्त सचिव को सचिव के पद पर पदोन्नति प्रकरणानुसार दी जा सकती है।

(v) प्रत्येक वर्ष छात्रसंघ चुनाव वार्षिक आधार पर आयोजित किये जायेंगे, जो शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6 से 8 सप्ताह के मध्य आयोजित होंगे। अतः सभी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय एवं शैक्षणिक अनुभागों से संबंधित वर्तमान छात्रसंघ विधानों पर उपरोक्तानुसार सभी प्रावधान लागू होंगे।




उपरोक्त विधानसभा के अनुसार छात्रसभ पुनः प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाये एवं इससे संबंधित विषयों में प्रश्नोत्तर प्रकाशित करने में भी सुविधा करवाई जाये जिससे भवितव्य शैक्षणिक सत्र 2010-2011 में छात्रसभ पुनः प्रवेश कर सकें।

भवदीय  
  
 (तपेश पण्डित)

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महागृहम राजस्वपाल, राजस्थान राजभावन जयपुर।
2. निजी सचिव मां. मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक मा. मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर।
10. उपरीक्षण, अनुसन्धान एवं जनसम्पर्क, राजस्थान जयपुर।

  
 उच्च शासन सचिव